

तारीख दुकम	दुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज
29/5	<p>पुनर्वी प्रेषण/वकील-परिचय- रिपोर्टिंग-के तहत तालुका में ये प्रेषण के, पुनर्वी तालुका के डिप्टी डी.पी.ओ. के प्रेषण के</p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO), खीवसर</p> <p>अध्यक्ष लोक अदालत खीवसर</p>
31/5	<p>सदर मुकदमा नं. 1/2021 लोक अदालत प्रशासन गर्भ में 2021 के मय कोर्ट गाम पंचायत में प्रेषण के स्थिति पंचायत में प्रेषण के स्थिति नहीं हो पाये। अतः प्रेषण पुनः स्थिति में दिनांक</p> <p>पीठाधीश्वर लोक अदालत खीवसर</p>
31/5/21 मुपप 2/5/21	<p>प्रशासन शाखा के कर्मचारी के 2021 के मय कोर्ट में प्रेषण के कोर्ट के निर्णय के तहत प्रेषण के करने पर भी प्रेषण के प्रेषण कर कोर्ट करने पर प्रेषण कर कोर्ट प्रेषण प्रेषण के प्रेषण कर कोर्ट प्रेषण प्रेषण के प्रेषण कर कोर्ट प्रेषण प्रेषण के प्रेषण</p>

दुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अटकाम जो इस दुकम की तामील में जारी हुए
<p>गैर नए इतिहास के तहत प्र.प.प. पु.प. 212 R.T. के तहत प्रेषण के प्रेषण के तहत प्रेषण के प्रेषण प्रेषण के तहत प्रेषण के प्रेषण प्रेषण के तहत प्रेषण के प्रेषण</p> <p>प्रणारी अधिकारी प्र.प.प. 2021 सप्लाइ अधिकारी, खीवसर प्रान प्रेषण, खीवसर</p>	

सेवामे

PURKA  
वीर  
03/12/21



श्रीमान यशवन्त केलकर  
स्वीकार

पार्थी  
भूराराम  
बनाम  
अपार्थीगण  
भीषाराज

पार्थना पत्र 1

पार्थना पत्र नं. 212 RT 2021

मान्यवती

उपरोक्त विषय अन्तर्गत पार्थी की ओर से निम्न निवेदन पेश है।

- (1) यह है कि हम पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने की वजह से उक्त राजस्व वाच्य पार्थना पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं।
- (2) यह है कि लौक अदालत की भावना से प्रेरित होकर उक्त राजस्व पार्थना पत्र को अनिष्ट विधि खारिज किया जावे।

अतः पार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त राजस्व पार्थना पत्र में राजीनामा होने की वजह से खारिज किया जावे।

दिनांक 7/12/21

भूराराम  
  
(पत्नील पार्थी)